तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/6/22 अभी पत्रावली आज [illegible] [signature] नवलकिशोर [signature]	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित हुए। P.O. साहब [illegible] पक्षकारों ने उपस्थित आदेशिका सं. 3 के [illegible] प्रतिवादी सं. 1 [illegible] पूर्व में जारी हो चुका है [illegible] प्रतिवादी सं. 2 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया [illegible] तथा [illegible] पेश [illegible] नकलियों का [illegible] प्रस्तुत किया [illegible] हुई [illegible] वास्ते बहस [illegible] दिनांक 4-7-22 को पेश हो।
4/7/22	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 16-8-22 को पेश हो। [initials]
4/8/22	पत्रावली पेश हुई पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने हेतु पेश हुई [illegible] वास्ते बहस हेतु दिनांक 13-8-22 को पेश हो।
13/8/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में पेश हुई। पत्रावली [illegible] बहस वादीनी अधिवक्ता जवाब सरकार पूर्व में जारी हो चुका है बहस वादीनी अधिवक्ता, जवाब सरकार एवं प्रार्थना सुनी गयी। बहस अधिवक्ता, जवाब सरकार [illegible] वादीनी के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीनी का बाद पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] [signature] सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 172/21 निर्णय दिनांकः–13.08.2022

उनवान

1– पांची उर्फ पाफू पुत्री रामपाल, पत्नी भंवरलाल जाति खारोल(खारवाल) निवासी डाबर तहसील दीगोद हाल जोशिया का खेड़ा कापरेन तहसील के0पाटन जिला बूंदी

(वादीनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से– श्री मायाराम स्वामी अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि वादीनी व प्रतिवादी नं0 2 के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते में वाके ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 की 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 की 0.92 हेक्टर , खसरा नम्बर 60/903 की 0.11 हेक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 2.26 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमि में वादीनी का बोलता पीहर का नाम पांची पुत्री रामपाल दर्ज किया हुआ है। जबकि वादीनी का नाम पाफू है। वादीनी का विवाह भंवरलाल जी के साथ हुआ है इस कारण वादीनी के परिवार के राशन कार्ड में , निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, व आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड में वादीनी का नाम पाफू पत्नि भंवरलाल अंकित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में पांची पुत्री रामपाल के स्थान पर पांची उर्फ पाफू पुत्री रामपाल, पत्नी भंवरलाल दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादीनी ने निवेदन किया है कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 की 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 की 0.92 हेक्टर , खसरा नम्बर 60/903 की 0.11 हेक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 2.26 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम पांची पुत्री रामपाल के स्थान पर पाफू पुत्री रामपाल

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

पत्नी भंवरलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार पांची पुत्री रामपाल एवं पाफू पुत्री रामपाल एक ही महिला होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादीनी का नाम पांची पुत्री रामपाल के स्थान पर पाफू पुत्री रामपाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 32 की 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 की 0.92 हेक्टर, खसरा नम्बर 60/903 की 0.11 हेक्टर कुल किता 3 की कुल रकबा 2.26 हेक्टर भूमि में वादीनी का नाम पांची पुत्री रामपाल के स्थान पर पाफू पुत्री रामपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तरं हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner